जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – सितम्बर ।। अंक–02 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

रामावती ने खोला संभावनाओं का द्वार
(पृष्ठ – 02)

उम्मीद की किरणें और खुशी के ऑसू
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े
एक लाख परिवार
(पृष्ठ – 04)

10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित

बिहार सरकार ने विश्व बैंक की मदद से 2 अक्टूबर 2006 को जिस महत्त्वाकांक्षी परियोजना "जीविका" की नींव रखी जिसने 2007 से कार्य करना आरंभ किया। परियोजना का मूल उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे गरीब परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाना है। परियोजना के प्रयोजन की प्राप्ति की दिशा में गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वायत्त संगठनों में सम्बद्ध करने का कार्य शुरू किया गया।

जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन राज्य के 6 जिलों के 6 प्रखंडों से आरंभ किया गया। परियोजना ने पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड में परियोजना के प्रथम स्वयं सहायता समूह "सबरी जीविका स्वयं सहायता समूह" का गठन दिनांक 12.12.2006 को किया । पहली सफलता ने परियोजना के उत्साह में काफी वृद्धि की और 2007–08 में निरन्तर उन्मुखीकरण के फलस्वरूप 6 जिलों के 18 प्रखंडों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण होने लगा।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 513 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ और वित्तीय वर्ष 2010–11 तक यह संख्या 31637 हो गयी। समूहों की आवाज का मंच प्रदान करने की दृष्टि से ग्राम संगठन की परिकल्पना की गयी। आस–पास में गठित 10–15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन के निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2009 में आरम्भ की गयी। विभिन्न तरह की जीविकोपार्जन गतिविधियाँ तथा बैंक से वित्तीय पोषण का कार्य तीव्र गति से होने लगे।

कोरोना संकट के बीच जून 2020 में जीविका परियोजना द्वारा राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान ही जीविका ने 10 लाख स्वयं सहायता समूह निर्माण करने का बहुप्रतीक्षित एवं महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। इस बीच पूर्व संगठित स्वयं सहायता समूह से सदस्यों को जोड़ने हेतु भी अभियान चलाया गया और 2 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को समूहों से सम्बद्ध किया गया। इसका प्रयोजन है कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साथ ही लोगों को अन्य तरह की अनुमान्य सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

जीविका का यह सफर 1.23 करोड़ परिवारों के साथ 10.01 लाख स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच गया है। स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध महिलाएँ अब सजग एवं सशक्त हो चुकी हैं और ग्राम संगठन तथा संकुल संघ के अतिरिक्त बेहतर आर्थिक लाभ की दिशा में उत्पादक समूहों तथा उत्पादक कम्पनियों से भी जुड़ रही हैं।

रामावती ने खोला संभावनाओं का द्वार

पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज की रामावती देवी इन दिनों सब्जी का व्यवसाय कर खुश हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान उनका रोजगार जाता रहा। चमेली स्वयं सहायता समूह और आकाश ग्राम संगठन से जुड़ी रामावती देवी लॉक डाउन के कारण खेतों में मिलने वाली मजदूरी से वंचित हो गयीं। दिव्यांग पति जो पहले छोटे–मोटे कार्यों में मदद कर देते थे, उनका भी रोजगार जाता रहा। रामावती देवी के सामने घर चलाने का संकट उत्पन्न हो गया। तब स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और संसाधन सेवी ने उन्हें वित्तीय सहायता लेकर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

रामावती ने सब्जी का व्यवसाय करने का निर्णय लिया। लॉक डाउन और कोरोना के कारण लोग बाजारों तक नहीं जा रहे थे। रामावती देवी ने यह निश्चय किया कि वे घर–घर जाकर सब्जियों की बिक्री करेंगी। ग्राम संगठन से ऋण लेकर रामवती देवी ने ई–रिक्शा खरीदा एवं घर–घर जाकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। उनके उत्साहवर्धन हेतु खुद एसडीओ ने उनके सब्जी के रिक्शा को हरी झंडी दिखायी। अब रामावती देवी के पति रिक्शा चलाते हैं और रामावती देवी बही–खाता एवं व्यवसाय से जुडी गतिविधियों का संचालन करती हैं। रमावती की आर्थिक स्थिति बदल गयी है। रामावती की हिम्मत की सभी तारीफ करते हैं।

सेवा से श्वेता ने पाई सफलता

कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड की निवासी हैं श्वेता। श्वेता पवन जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हैं। जनवरी 2020 में जीविका की मदद से श्वेता ने ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन प्रारंभ किया। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय श्वेता ने कोरोना वॉरियर के रूप में समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा को पहुँचाया और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया।

मार्च 2020 से ले कर अब तक श्वेता ने 2426197 रूपए से ज्यादा का लेन–देन किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु अपेक्षित सावधानी बरती। मुंह में मास्क, हाथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी का पालन किया और ग्राहक सेवा केन्द्र में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी। उन्होंने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया।

बैंक सखी श्वेता बताती हैं कि– आरंभ में थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई लेकिन मैंने कोरोना संक्रमण काल को एक अवसर के रूप में लिया, जहां समाज की सेवा एवं आर्थिक कठिनाइयों का समाधान दोनों था। ऐसा कर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। श्वेता अपने सेवा कार्य एवं सफलता के लिए जीविका को धन्यवाद देती हैं।

उम्मीद की किरणें और खुशी के आँसू

सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड स्थित परसागढ़ी दक्षिण पंचायत की रहने वाली मीरा देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड (LIF) के तहत 16,000 रुपये की राशि ग्राम संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इस शुरुआती पूंजी के साथ मीरा देवी ने दिनांक 29.07.2019 को किराना दुकान की शुरूआत की। किराना दुकान खोलने के साथ ही मीरा देवी को जीवन में उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी।

किराने की दुकान में अधिक बिकी हो, इसके लिए वह कई तरह के नुस्खे भी आजमा रही है। दुकान में पहले महज 200 से 300 रुपये तक की ही बिकी प्रतिदिन हो पाती थी। अब वह गांव में घूम–घूम कर किराना समानों, मुढ़ी एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री करती है। इसके बदले वह पैसे के अलावा धान एवं गेहूं के बदले भी समान की बिकी करती है। इससे वह रोजाना 500 से 600 रुपये तक की बिक्री कर लेती है। इसके अलावा, उसने बीते साल किराना समान की बिक्री से करीब 25 मन धान इकट्ठा किया। इस दुकान के सहारे मीरा देवी अपने परिवार का गुजर–बसर करते हुए विकास की राह पर बढ़ रही है। मीरा देवी की मेहनत और लगन से उसके इस नए व्यवसाय की आमदनी बढ़ने लगी है। इसके अलावा सतत जीविकोपार्जन योजना की ओर से सात माह तक एक हजार रुपये प्रति माह अवलंबन राशि के रूप में भी प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उसने दुकान की पूंजी बढ़ाने में ही किया।

सँवरती जिंदगी–गीता की कहानी

बिहार में देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवारों के सतत आजीविका संवर्धन हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन जीविका द्वरा किया जा रहा है।

गीता देवी को आजीविका गतिविधि को संचालित करने हेतु प्रशिक्षित किया गया एवं इनकी रुचि एवं माँग के अनुसार किराना दुकान खोलने हेतु 20 हजार रुपये की राशि दी गई। इस राशि से इन्होने अपनी झोपड़ी में ही किराने की दुकान खोल लिया। ये जिसमे किराना सामान के अतिरिक्त गाँव के किसानों से ही खरीदकर ताजा सब्जियाँ भी बेचती हैं। इस दुकान को संचालित करने में पति विश्वनाथ सिंह और पुत्र का भी साथ मिला।

समूह और ग्राम सगठन से जुडी महिलाएँ और उनके परिवारों ने भी गीता की दुकान से खरीददारी शुरू की। प्रति सप्ताह इनकी दुकान से 6 से 7 हजार रुपये की खरीद–बिक्री हो रही है। प्रति दिन 3 सौ से 4 सौ रुपये का मुनाफा हो रहा है। गीता बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। यक्ष्मा रोग से पीड़ित इनके पति का इलाज अब बेहतर और नियमित तरीके से हो रहा है। बेटे की भी पढाई शुरू हो गई है । सतत जीविकोपार्जन योजना से उनके और उनके परिवार के जीवन में खुशहाली आई है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े एक लाख परिवार

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के पूर्व राज्य में देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा 26 अप्रैल 2018 को ''सतत् जीविकोपार्जन योजना'' की घोषणा की गयी थी एवं दिनांक 5 अगस्त 2018 को औपचारिक रूप से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत एक लाख अति निर्धन परिवारों को स्थायी जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त 2020 तक यानी दो वर्ष की अवधि में सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 1 लाख लक्षित परिवारों को चिह्नित किया गया।

इस योजना हेतु अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों से जुड़े परिवारों की पहचान करने में जीविका ग्राम संगठनों की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्राम संगठनों द्वारा समुदाय संसाधन सेवी की मदद से सभी चिह्नित गांवों में सर्वे किया गया एवं सर्वे के उपरान्त अति निर्धन परिवारों की पहचान की गई जो योजना हेतु उपयुक्त पाए गए।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत लक्षित परिवारों के नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के उपरान्त सतत् आजीविका हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय सहायता के रूपमें राज्य सरकार ऐसे परिवारों को 60 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि ग्राम संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराती है। लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय से संबंधित गतिविधि हेतु उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उद्यम के सफल संचालन हेतु मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा हर स्तर पर अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाता है। इसी प्रयोजन से योजना में प्रति 30 से 40 परिवारों पर एक मास्टर रिसोर्स पर्सन का प्रावधान किया गया है, ताकि उनके द्वारा ऐसे परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया जा सके।

योजना के तहत लाभुक परिवारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु किराने एवं श्रृंगार के छोटी दुकानें, चाय एवं नाश्ते की दुकान, बकरी एवं मुर्गी पालन, अगरबत्ती निर्माण, कृषि संबंधी गतिविधियों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर ऐसी गतिविधियाँ जिनमें लाभान्वित परिवार की रुचि हो या जो उनके उपयुक्त हों के साथ जोड़ा जा रहा है। रोजगार उपलब्ध कराने के बाद रोजगार से अच्छी आय का सृजन होने तक अगले 7 माह तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये अवलंबन राशि के रूप में भी दिया जाता है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्री ब्रज किशोर पाठक – विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, बक्सर
- श्री विकाश राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री अभिजीत मुखर्जी – वाई.पी.–के.एम.सी., एस.पी.एम.यू